दावा प्रकरण क्र. 827/2022 सुलदू राम पोयाम विरूद्ध टेमेन्द्र सिंह चंदेल व अन्य

Witness No. . 02 ..... for ......आवेदक ...... Deposition taken

the ..... –16/12/2024–day – सोमवार–. Witness's apparent age .–36 वर्ष...

States on affirmation -शपथपूर्वक..... my name is – मयूर चांदेकर

s/o – विष्णु पंत चांदेकर Occupation – डॉक्टर

address :- जिला अस्पताल कोंडागांव, जिला कोंडागांव छ.ग.

समय प्रारंभ– 04:00 बजे।

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री के.के. मिश्रा अधिवक्ता वास्ते आवेदक

1. मैं जिला अस्पताल कोंडागांव में दिनांक 19.03.2021 से वर्तमान में हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत् हूं एवं जिला मेडिकल बोर्ड का सदस्य हूं।

2. दिनांक 22.06.2021 को सुलदू राम पोयाम की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि दायां पैर घुटने के नीचे से कटा हुआ है। मेडिकल बोर्ड के द्वारा 50 प्रतिशत का स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा जो गैजेट दिया गया है उस आधार पर उक्त प्रमाण पत्र दिया गया है। उक्त विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 10 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है एवं मेडिकल बोर्ड के चेयरमेन संजय बसाक का ब से ब भाग पर हस्ताक्षर है। विकलांगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड कोंडागांव के द्वारा दिनांक 22.06.2021 को जारी किया गया है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दीपक दीवान अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र. 3

3. यह कहना सही है कि आवेदक का इलाज मेरे द्वारा नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि आवेदक अपने इलाज से संबंधित दस्तावेजों

की छायाप्रति लेकर आया था उसे देखकर मेरे द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र तैयार किया गया है, गवाह स्वतः कहा कि मेरे द्वारा आवेदक का पैर कटा होना देखकर विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया गया है। यह कहना सही है कि मैं यह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि आवेदक का पैर किसी सड़क दुर्घटना के कारण कटा है। यह कहना सही है कि आवेदक का पैर में यदि घर में हुई दुर्घटना के कारण चोट आई हो और उस कारण से उसका पैर काटा गया हो तो भी मैं नहीं बता सकता हूं।

4. यह कहना गलत है कि विकलांगता प्रमाण पत्र 50 प्रतिशत विकलांगता सिर्फ दाएं पैर की है। गवाह स्वतः कहा कि 50 प्रतिशत विकलांगता पूरे शरीर की बनाई गई है। यह कहना सही है कि मैं विकलांगता प्रमाण पत्र में 50 प्रतिशत जो विकलांगता बता रहा हूं उक्त विकलांगता की कैल्कुलेशन चार्ट विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न नहीं है। गवाह स्वतः कहा कि विकलांगता भारत सरकार द्वारा जारी गैजेट के आधार पर बनाया जाता है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा आवेदक का कोई एक्स रे नहीं कराया गया था, गवाह स्वतः कहा कि एक्स रे कराने की जरूरत नहीं थी।

5. यह कहना सही है कि आवेदक कृत्रिम पैर लगाकर सामान्य तरीके से उठना बैठना, चलना कर सकता है। यह कहना सही है कि आवेदक को पैर के अलावा शरीर में कहीं भी अन्य चोटें नहीं आई थी। यह कहना सही है कि आवेदक बैठकर करने वाले सभी कार्य कर सकता है। यह कहना सही है कि आवेदक के देखने, बोलने, सुनने और समझने की क्षमता में कोई कमी नहीं आई थी। यह कहना सही है कि विकलांगता प्रमाण पत्र में आवेदक का पैर कितना इंच या कितना प्रतिशत कटा है इसका उल्लेख नहीं है। गवाह स्वतः कहा कि आवेदक का पैर घुटने के नीचे कटा था। यह

कहना सही है कि आवेदक के मसल पावर में कोई कमी नहीं आई है स्वतः कहा कि धीरे–धीरे कमी आ सकती है। यह कहना गलत है कि आवेदक की निःशक्त अस्थायी प्रकृति की है। यह कहना गलत है कि आवेदक के निवेदन पर मैंने दावा आवेदन में अधिक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो सके इसलिए असत्य आधारों पर बढ़ा–चढ़ाकर विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया गया है।

6. यह कहना सही है कि आवेदक विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए मेरे पास केवल एक बार आया था। यह कहना सही है कि आवेदक कृत्रिम पैर लगाकर वाहन चला सकता है।

साक्ष्य समय समाप्त– 04:30 बजे।

गवाह को पढकर सुनाया गया *मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।*

सही होना स्वीकार किया।

(दिलेश कुमार यादव)
तृतीय अति.मो.दु.दा. अधिकरण
रायपुर (छ0ग0)

(दिलेश कुमार यादव)
तृतीय अति.मो.दु.दा अधिकरण
रायपुर (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर....................